तार : "भूमि बैंक"

Tel. : "BHUMIBANK"
दूरभाष : ई.पी.ए.बी.एक्स 2238840
Phones : 2238842, 3056381
फैक्स : 0522 2239806
E. Mail : upsgvb@yahoo.in

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

प्रधान कार्यालयः 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

(U.P. SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD.Head office : 10, MALL AVENUE, LUCKNOW.)

परिपत्र सं0 सी– 60 /तक0प्रको0/मत्स्य पालन/2018–19 दिनॉकः 16.10.18

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

विषयः–मत्स्य विकास योजनान्तर्गत ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं मार्ग दर्शिका

बैंक द्वारा ''मत्स्य विकास योजनाओं'' के अंतर्गत दीर्घ कालीन ऋण वितरित किया जा रहा है। इस विषय पर पूर्व प्रेषित परिपत्र सं0–सी–97/मत्स्य/ऋण प्रकिया/डीड/ए.आर.डी.सी.–2/83–84 दिनांक–19.11.83, परिपत्र सं0–सी–26/परि01/मत्स्य/ 2000–01 दिनांक–09.05.2001 एवं परिपत्र सं0–सी–16/परि01/मत्स्य/2004–05 दिनांक–17.04.2004 एवं सी–26/परि0–1/04–05,दि0 22.04.04 में आंशिक संशोधन करते हुए ऋण वितरण प्रकिया निम्नवत् है जिसके अनुसार ऋण वितरण किया जाये।

1. लाभार्थियों का चयन :– मत्स्य पालन विकास अभिकरण अथवा मत्स्य विभाग के कार्यरत वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक/बैंक के फील्ड स्टाफ द्वारा लाभार्थियों का चयन के पश्चात बैंक के निर्धारित ऋण प्रार्थना पत्र को लाभार्थियों से विधिवत पूर्ण कराकर तथा बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं आर्थिक अप्रेजल रिपोर्ट तथा साइट प्लान सहित बैंक की शाखा में ऋण स्वीकृत/ऋण वितरण हेतु प्रस्तुत करेंगे। ऋण प्रार्थना पत्र जमा करते समय सामान्य नियमों के अनुसार अंशधन/मार्जिन मनी जमा कराया जायेगा। वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के लाभार्थी होंगे।

1.1 निजी तालाब वाले लाभार्थीः–ऐसे लाभार्थियों को उनके निजी तालाब एवं कृषि योग्य भूमि को बैंक के पक्ष में बंधक रखकर मत्स्य पालन हेतु ऋण वितरण किया जायेगा।

1.2 निजी भूमि रखने वाले एवं पट्टे के तालाब वाले लाभार्थीः–ऐसे लाभार्थियों जिनके पास पट्टे के तालाब के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि है उनकी निजी कृषि योग्य भूमि को बंधक रख कर उसके मूल्यांकन के आधार पर मत्स्य पालन हेतु ऋण दिया जायेगा। कृषि योग्य भूमि के साथ ही साथ **पट्टे के तालाब को भी बंधक किया जायेगा। पट्टे के उसी तालाब पर ऋण दिया जाये जिसका पट्टा बैंक के परिपत्र सं0–सी–60/लीगल/91–92 दिनांक–1.7.1991 के अनुसार कम से कम 10 वर्ष हेतु निर्गत किया गया हो।** ऋण प्रार्थना के साथ शासनादेश के अनुसार जारी किये गये पट्टे की शर्तनामा की सत्य प्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी। पट्टे के तालाब के मामले में निर्धारित प्रारूप पर बैंक प्रबन्ध समिति एवं लाभार्थी को ऋण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय संलग्न प्रारूप पर अण्डरटेकिंग देना होगा।

2. तकनीकी बिन्दुः–मत्स्य पालन योजना में ऋण वितरण करने के पूर्व योजना से संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखना होगा।

प्रथम त्रैमासः–(अप्रैल,मई,जून)

- उपयुक्त तालाबों को चुनाव।
- नए तालाब के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन।
- मिट्टी, पानी की जॉच।

- तालाब सुधार एवं निर्माण हेतु मत्स्य पालन अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी व आर्थिक सहयोग लेते हुए तालाब सुधार एवं निर्माण कार्य की पूर्णता।
- अवॉछनीय जलीय वनस्पतियों की की सफाई।
- महुवा की फली का प्रयोग एवं बार–बार जल डलवाकर अवॉछनीय मछलियों का निकास।
- उर्वरा शक्ति की वृद्धि हेतु 250 किग्रा प्रति हे0 चूना तथा 10 से 20 कुन्तल प्रति हे0 प्रति माह गोबर की खाद का प्रयोग।

द्वितीय त्रैमासः–(जुलाई,अगस्त,सितम्बर)

- मत्स्य बीज संचय से पूर्व पानी की जॉच।
- तालाब में 20–50 मि0ली0 के आकार के 10,000 मत्स्य बीज का संचय।
- पानी में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन की जॉच।
- गोबर की खाद के प्रयोग के 15 दिन उपरान्त रासायनिक खादों का प्रयोग।
- रासायनिक खादों के प्रयोग के 15 दिनों बाद 10–20 कु0 प्रति हे0 प्रतिमाह गोबर की खाद का प्रयोग।
- मत्स्य अंगुलिकाओं के भार का 1–2 प्रतिशत की दर से प्रतिदिन पूरक आहार का प्रयोग।

तृतीय त्रैमासः–(अक्टूबर,नवम्बर,दिसम्बर)

- मछलियों की वृद्धि दर की जॉच।
- मत्स्य रोग की रोकथाम हेतु औषधियों का प्रयोग।
- पानी में प्राकृति भोजन की जॉच।
- पूरक आहार का प्रयोग।
- ग्रास कार्प मछली के लिए जलीय वनस्पतियों का खिलाना।
- उर्वकों का प्रयोग।

चतुर्थ त्रैमासः–(जनवरी,फरबरी,मार्च)

- मछलियों की निकासी एवं विकय।
- 1 हे0 तालाब में कामन कार्प मछलियों के लगभग 1500 बीज का संचय।
- पूरक आहार का प्रयोग।
- उर्वरकों का प्रयोग।

यदि इण्डियन कार्प व चायनीज़ कार्प एवं दोनों का एक साथ मत्स्य पालन किया जाता है तो मछलियों का अनुपात निम्नवत् होगाः–

क्रम	मछलियों का प्रकार	प्रतिशत
1	कतला	40%, 30%, 15%
2	रोहू	30%, 30%, 20%
3	मृगल	30%, 20%, 15%
4	कामन कार्प	-, 20%, 20%
5	सिल्वर कार्प	-, -, 15%
6	ग्रास कार्प	-, -, 15%
		100 100 100

मत्स्य उत्पादन हेतु उदाहरण स्वरूप कियाचक

जनवरी-मार्च	गढ़ढ़े की खुदाई
अप्रैल-जून	प्री स्टाकिंग
जुलाई-सितम्बर	स्टाकिंग (जनन काल) क-1
अगले वर्ष	
जुलाई-सितम्बर	मत्स्य निसकासन
(क-1, क-2, का अभिप्रायः तालाब में डाली गयी मछलियों से है)	
फरबरी-अप्रैल	मत्स्य निसकासन क-1
जुलाई-सितम्बर	स्टाकिंग क-3
फरबरी-अप्रैल	मत्स्य निसकासन क-2

3. ऋण वितरण प्रकिया :–प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0–सी–26/ऋण/2015–16 दिनांक–18.06.2015 द्वारा ऋण वितरण करने के सम्बन्ध में निर्धारित ऋण नीति के अनुसार ही ऋण वितरण किया जाये एवं योजनान्तर्गत ऋण वितरण तीन किश्तों में किया जाएगा।

4. योजना की ईकाई लागत :–मत्स्य पालन योजनान्तर्गत ईकाई लागत निम्नवत् है :–

क्0सं0	उद्देश्य	इकाई का आकार	इकाई लागत	पुर्नअदायगी अवधि वर्ष	ग्रेस पीरिएड
1	वर्तमान तालाब में मत्स्य पालन	1 एकड़ (0.4 हे0)	1,54,500/–	05	12 माह
2	नये तालाब में मत्स्य पालन	1 एकड़ (0.4 हे0)	3,11,500/–	08	12 माह
3	मत्स्य बीज उत्पादन फिश सीड रेरिंग सीजनल तालाब में	0.2 हे0	1,67,000/–	03	12 माह
4	पैन्गेसियस फिश कल्चर वर्तमान तालाब में	0.4 हे0	4,28,700/–	04	12 माह
5	एकीकृत इण्टेग्रेडिट फिश कल्चर विथ पोल्ट्री	0.4 हे0	2,46,700/–	07	12 माह
6	एकीकृत इण्टेग्रेडिट फिश कल्चर विथ डेयरी	0.4 हे0, 2 पशु	3,88,200/–	05	12 माह
7	एकीकृत मत्स्य पालन इण्टेग्रेडिट फिश कल्चर विथ डकरी (बत्तख पालन)	0.4 हे0, 60बर्डस	1,84,500/–	05	12 माह

मत्स्य पालन योजनान्तर्गत ऋण वितरण करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1–वितरित किश्त की सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त वितरित की जायेगी।

2–प्रत्येक किश्त के ऋण वितरण की सदुपयोगिता की जॉच करके रिपोर्ट शाखा पर प्रस्तुत करना भुगतान कराने वाले कर्मचारी/अधिकारी का दायित्व होगा।

3–गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य बीज अंगुलिकाओं को क्रय करने हेतु लाभार्थी द्वारा सहमति पत्र प्राप्त कर मत्स्य बीज अंगुलिकाओं के मूल्य का चेक एफ0एफ0डी0ए0/मत्स्य विभाग के नाम बनाकर एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा। यदि कोई निजी हैचरी मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत है और उत्तम गुणवत्ता वाली मत्स्य बीज का उत्पादन व विपणन करती है तो कृषक से सहमति प्राप्त कर उक्त एजेंसी के नाम एकाउण्टपेयी चेक बनाकर भुगतान किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि फील्ड आफिसर की उपस्थिति में ही अंगुलिकायें तालाब में डाली जायें तथा फील्ड आफिसर यह प्रमाणित करें कि उनकी उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा व नाप की अंगुलिकायें पानी में डाली गई है।

4–वितरित किश्त का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर शाखा प्रबन्धक बैंक स्टाफ से उसकी जॉच करायेगें। बैंक द्वारा बनाई गयी पत्रावली की सदुपयोगिता/जॉच शाखा प्रबन्धक स्वयं करेंगें।

5–अग्रिम किश्त की सदुपयोगिता की जॉच अनिवार्य रूप से बैंक के फील्ड आफिसर/शाखा प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

6–तालाब की खुदाई/सुधार का उचित समय माह मई/जून है। अतः ऋण स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही इस प्रकार से की जाये कि तालाब की खुदाई आदि का कार्य माह जून के पूर्व ही हो जाये।

7–योजना हेतु 0.2 हेक्टेयर से 2.00 हे0 तक के ऐसे तालाब लिए जायें जिनमें वर्षभर अथवा वर्ष में कम से कम 8–9 माह पानी बना रहे।

8–तालाब की मिट्टी–पानी की मत्स्य पालन हेतु उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु मिट्टी–पानी का परीक्षण मत्स्य विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा कराकर निर्धारित मात्रा में कार्बनिक व रासायनिक उर्वरकों के उपयोग हेतु संस्तुतियां अवश्य प्राप्त करली जायें।

9–तालाब में बुझे चूने का प्रयोग 250 कि0ग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से मत्स्य बीज डालने से लगभग एक माह पूर्व अथवा गोबर की खाद डालने के 15 दिन पूर्व किया जाना चाहिऐ। गोबर की खाद दस टन प्रतिवर्ष प्रयोग की जानी चाहिए जिसको दस समान मासिक किश्तों में प्रत्येक माह गोबर की खाद डालने के 15 दिन बाद करना चाहिए। इसी प्रकार रासायनिक खाद का प्रयोग भी दस मासिक किश्तों में प्रत्येक माह गोबर की खाद डालने के 15 दिन बाद करना चाहिए।

10–तालाब में 25 मि0मी0 लम्बाई तक की 10 हजार स्वस्थ अंगुलिकायें (मत्स्य बीज) प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जानी चाहिए।

11– 12 से 18 माह के बीच जब मछलियां एक से डेढ़ किला ग्राम हो जाये तो उन्हें निकाल कर बिक्री कर देना चाहिए।

12. ऋण अदायगी की अवधि:–

यूनिट कास्ट तथा ऋण वितरण के किश्तों का विवरण सम्बन्धी तालिका में पूर्नअदायगी अवधि तथा ग्रेस पीरिएड का उल्लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त ऋण वितरण प्रकिया एवं मार्ग–दर्शन के आधार पर आप अपने शाखा क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित कर मत्स्य विकास में सहयोग देवें ताकि ''नीली कान्ति'' का प्रदेश व्यापी अभियान सफल हो सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करे।
2. समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू0),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई–मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)

विः

योजना का अप्रेजल

(संलग्नक-1)

मत्स्य पालन योजना का तकनीकी अप्रेजल रिपोर्ट

1. लाभार्थी/मत्स्य जीवी सहकारी समिति नाम व पता...
2. लाभार्थी/मत्स्य जीवी सहकारी समिति का मुख्य व्यवसाय...
3. आवेदक के पास मत्स्य पालन की वर्तमान व्यवस्था..

(क) क्या आवेदक के पास निजी तालाब/जलाशय/झील है...

(ख) निजी तालाब/जलाशय/झील का क्षेत्रफल(हे0)..

(ग) क्या आवेदक के पास पट्टे पर तालाब/जलाशय/झील है.......................................

(घ) पट्टे के तालाब/जलाशय/झील के आवंटन आदेश सं0-...............एवं दिनांक.............

(च) पट्टे की अवधि ....

(छ) आवेदक के स्वामित्व में बंधक हेतु प्रस्तावित कुल भूमि...

प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल........................... लगान...............................

(ज) पट्टे की नीलामी का मूल्य/लगान...

क्र0सं0	कराये जाने वाले कार्य का विवरण	परिणाम	दर	लागत
1	तालाब की खुदाई			
2	इनलेट का निर्माण एवं जाली तथा शटर			
3	आउटलेट का निर्माण एवं जाली तथा शटर			
4	फिडिंग चैनल का निर्माण एवं गहराई तथा ढलान			
5	तालाब का बंधा निर्माण			
6	तालाब पर पनी भरने का व्यय			
7	अन्य निर्माण			
	क-			
	ख-			
	ग'			
	योग-			

आर्थिक अप्रेजल रिपोर्ट

(संलग्नक-3)

(क) प्रस्तावित योजना के पूर्व की आय-

1. क्या आवेदक के पास योजना से पूर्व मत्स्य पालन किया जाता रहा है-
2. योजना से पूर्व मत्स्य पालन पर उत्पादन व्यय रूपये में-
3. वार्षिक मत्स्य की उपज (कु0 में)
4. मत्स्य विक्रय की दर प्रति कु0
5. मत्स्य पालन से कुल आय (3X4)
6. मत्स्य पालन से प्राप्ति आय (5-2)

(ख) प्रस्तावित योजना के पश्चात की आय-

1. मत्स्य पालन पर वार्षिक आर्वतक व्यय क्रमांक दो के आधार पर-
2. वार्षिक मत्स्य उपज(कु0 में)
3. मत्स्य विक्रय की दर
4. मत्स्य पालन से कुल आय (2 x 3)
5. मत्स्य पालन से प्राप्त शुद्ध आय (4 - 1)

(ग) वृद्धोन्मुख आय (ख-5) - (क6)   न्यूनतम

(घ) वार्षिक ऋण भुगतान क्षमता (वृद्धोन्मुख आय का 50 प्रतिशत)

(च) ऋण की वार्षिक किशत

आवेदक को ऋण भुगतान क्षमता के आधार पर रू0----------------------- ऋण के वितरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक-

जॉच अधिकारी

नाम.........................

पद.........................